UPRB010017352026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी– (अमित पाल सिंह**), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP05691**

फौजदारी निगरानी संख्या 57/2026

हिमांशू उम्र 22 साल पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम पूरे टेकई मजरे कमोली, थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1– उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

2– राजकमल वयस्क पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम बलभद्रपुर, थाना डलमऊ जनपद रायबरेली।

..... प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1– यह फौजदारी निगरानी, अंतर्गत धारा 438, 440 बी0 एन 0 एस 0 एस 0, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या 2930/2025 हिमांशू बनाम राजकमल, में पारित आदेश दिनाँक 12.12.2025 के विरूद्ध, जिसके द्वारा निगरानीकर्ता/आवेदक के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 थाना डलमऊ जिला रायबरेली, को निरस्त किया गया है, से क्षुब्ध होकर आवेदक/निगरानीकर्ता हिमांशू द्वारा योजित की गयी है।

2– संक्षेप में निगरानी के तथ्य यह हैं कि निगरानीकर्ता/आवेदक हिमांशू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित कथन किये गयेः–

'आवेदक/निगरानीकर्ता इण्टरमीडिएट पास एवं बेरोजगार व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश में आनलाईन 2024 में पुलिस भर्ती निकली थी, जिसकी लिखित परीक्षा अगस्त 2024 में हुई थी। आवेदक ने आवेदन किया था, उसी दौरान विपक्षी राजकमल पुत्र हीरा लाल निवासी ग्राम–बलभद्रपुर, थाना–डलमऊ, जिला रायबरेली, जो सी.आर.पी.एफ. में कांस्टेबल/जी.डी. के पद पर कार्यरत है, जिसका कार्ड नं० 232923/049/2023 तथा फोर्स नं० 115183589 है, विपक्षी ने आवेदक को नौकरी दिलाने का झांसा देकर आवेदक

से, विपक्षी ने मु० 3,00,000/– रू० (तीन लाख रूपये) आवेदक के साथ छल कपट व धोखा धड़ी करते हुए ठग लिया। आवेदक ने विपक्षी को उपरोक्त धनराशि अपने नाते रिश्तेदारों से काफी मिन्नतें करके उधार स्वरूप लेकर विपक्षी राजकमल व उसके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बरों पर आनलाइन जमा कराया जिसका विवरण इस प्रकार है कि–

1. यह कि दिनांक 25.10.2024 को विपक्षी राजकमल द्वारा भेजे गये मोबाईल नं० 6394330539 दुर्गेश कुमार नाम के व्यक्ति के मोबाईल पर आवेदक ने अपने मौसा के मोबाईल 7977257484 से जरिये फोन पे मु० 50,000/– रू० दिया गया तथा उसी दिन शाम को 6.13 बजे दुबारा दुर्गेश के ही मोबाईल उपरोक्त पर आवेदक द्वारा अपने मौसा के मोबाईल नं० 7977257484 से मु० 50,000/–रू० ट्रान्सफर कराया गया।

2. यह कि दिनांक 25.10.2024 को ही शाम 6.18 बजे विपक्षी राजकमल द्वारा दिये गये दिवाकर नामक व्यक्ति के मोबाईल नं० 9368169631 पर 50,000/– रू० आवेदक के मौसा लाल बहादुर द्वारा भेजा गया तथा दिनांक 11.11.2024 को समय 2.35 पी. एम. पर विपक्षी राजकमल को मु० 40,000/– रू० आवेदक ने अपने मामा धर्मेन्द्र से आन लाईन ट्रान्सफर कराया, पुनः उसी दिन 2.37 पी.एम. पर विपक्षी राजकमल के मोबाईल नं० पर ही आवेदक ने दोबारा अपने मामा के माध्यम से मु० 10,000/–रू० ट्रान्सफर कराया गया है। प्रतिपक्षी ने आवेदक से उसके शैक्षिक प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियां व फोटो आदि लिया तथा सादे कागजो पर प्रतिपक्षी ने आवेदक से हस्ताक्षर करवाया।

3. यह कि दिनांक 11.11.2024 को 2.28 पी.एम. विपक्षी राजकमल के फोन पे मो० 8839531358 पर मु० 50,000/– रू० अपने मामा के मोबाईल नं० 9621077743 से आनलाइन भेजा गया तथा दिनांक 11.11.2024 को पुनः 2.36 पी. एम. पर अपने मामा के मोबाईल उपरोक्त से विपक्षी के फोन पे पर दुबारा 50,000/–रू० जमा किया गया।

3– उपरोक्त धनराशि प्रतिपक्षी एवं उसके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बरों पर आवेदक द्वारा अपने रिश्तेदारों के माध्यम से आनलाईन जमा कराया गया है। आवेदक जब प्रतिपक्षी से जरिये मोबाईल नौकरी दिलाने की बात करता था तो प्रतिपक्षी बार–बार आश्वासन देता रहा कि कुछ दिनों बाद तुम पुलिस में भर्ती हो जाओगे, किन्तु काफी समय बीत जाने के बाद भी प्रतिपक्षी आश्वासन ही देता रहा कि काम हो जायेगा। दिनांक 29.08.2025 को समय 3.00 बजे शाम आवेदक विपक्षी से मिलने उसके पैतृक निवास ग्राम–बलभद्रपुर, थाना–डलमऊ, जिला रायबरेली गया और प्रतिपक्षी से मिला और नौकरी की बावत बात किया तब प्रतिपक्षी ने आवेदक को नौकरी दिलाने से साफ इन्कार कर दिया। जब आवेदक ने अपने व अपने रिश्तेदारों द्वारा आनलाईन दिलाये गये 3,00,000/– रू० रूपयों व कागजातों की मांग की तो प्रतिपक्षी द्वारा आवेदक को माँ बहन की गन्दी–गन्दी गालियां दी गयी और अपनी वर्दी का रौब दिखाकर आवेदक के उपरोक्त 3,00,000/– रूपये वापस करने से साफ

इन्कार कर दिया तथा धमकी दिया कि मैं एन. एस. जी. कमाण्डो हूँ, मेरे पीछे ज्यादा पड़ोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह प्रतिपक्षी ने आवेदक के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात, ठगी व कूटरचना करके आवेदक का मु० 3,00,000/–रू० हड़प कर लिया। आवेदक ने घटना की सूचना उसी दिनांक 29. 08.2025 को थाना डलमऊ में दिया, थाना पुलिस लगातार आवेदक को दौड़ाती रही, परन्तु प्रतिपक्षी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तब आवेदक ने दिनांक 18.10.2025 को जरिये रजिस्टर्ड डाक श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद रायबरेली को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया फिर भी प्रतिपक्षी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थना की गयी कि थानाध्यक्ष डलमऊ को आदेशित किया जाय कि प्रतिपक्षी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करे"।

3– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। सम्बन्धित थाने से यह आख्या प्रस्तुत की गयी कि– प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

4– आख्या प्राप्त होने के उपरांत विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सुनवाई करके निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा योजित प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 को, निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी, आवेदक/निगरानीकर्ता हिमांशू द्वारा योजित की गयी है।

5– संक्षेप में आधार निगरानी निम्न प्रकार हैं कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान के विपरीत है। आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र से समर्थित प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 प्रस्तुत किया, जिस पर विश्वास न करके विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थना पत्र दिनाँक 12.12.2025 को निरस्त करके विधिक त्रुटि किया है। आवेदक/निगरानी के साथ गम्भीर प्रकृति का संज्ञेय अपराध कारित किया गया, जिसके अभिलेखीय प्रमाण हैं। प्रतिपक्षी संख्या 2 ने आवेदक/निगरानीकर्ता के साथ धोखाधड़ी, छल कपट व अभिलेखों में कूटरचना करके अपराध कारित किया है, जिसके सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना व पुलिस द्वारा विवेचना कराया जाना विधिसम्मत है। प्रतिपक्षी संख्या 2 प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से सम्बन्धित थाने की आख्या पर विश्वास करते हुए निरस्त कर दिया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना की गयी कि निगरानी स्वीकार कर, अवर न्यायलय द्वारा

पारित आदेश दिनाँक 12.12.2025 निरस्त करने की कृपा की जाए।

6– निगरानीकर्ता/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से बावजूद तामील बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं आया।

7– निगरानीकर्ता/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा अभिकथित तथ्यों से प्रत्यर्थी संख्या 2/विपक्षी के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति के संज्ञेय अपराधों का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, परन्तु विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त पर कोई विचार नहीं किया गया है और मनमाने ढंग से निगरनीकर्ता/आवेदक द्वारा धारा 173 (4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के अंतर्गत योजित प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है, जो विधि एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध है।

8– निगरानीकर्ता/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा अभिकथित तथ्यों से दिनांक 25.10.2024 को एक व्यक्ति के मोबाईल पर उसके मौसा द्वारा 1,00,000/– रूपये व दिनाँक 25.10.2024 को ही दूसरे व्यक्ति के मोबाईल पर उसके मौसा लाल बहादुर द्वारा 50,000/– रूपये व पुनः दिनाँक 11.11.2024 को आवेदक/निगरानीकर्ता के मामा द्वारा 40,000/– व 10,000/– रूपये तथा दिनाँक 11.11.2024 को ही अपने मामा के मोबाइल से दो बार में पचास–पचास हजार रूपये प्रत्यर्थी संख्या 2 को स्थानांतरित किये गये हैं और उक्त पैसे प्रत्यर्थी संख्या 2 के नौकरी लगाये जाने के आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में दिये गये हैं, परन्तु निगरानीकर्ता/आवेदक को नौकरी न मिलने पर, दिनँक 29.08.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा निगरानीकर्ता/आवेदक को नौकरी दिलाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया गया है और 3,00,000/– रूपये देने से मना कर दिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2/विपक्षी एन 0 एस 0 जी0 कमाण्डो स्वयं को बताता है और उसी आधार पर उसके द्वारा पहले नौकरी दिलवाने के बहाने उक्त धनराशि ली गयी और बाद में नौकरी लगवाने में असफल रहने पर उक्त धनराशि को अब वापस करने से ही इन्कार कर दिया गया।

9– उपरोक्त के आधार पर निगरानीकर्ता/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रस्तुत आपराधिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आदेश अपास्त किये जाने योग्य है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाने हेतु प्रस्तुत आपराधिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

10– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश व सम्बन्धित पत्रावली के

अवलोकन से यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में अभिकथित तथ्यों के अनुसार निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं कोई धनराशि प्रत्यर्थी संख्या 2 को किसी माध्यम से अदा नहीं की गयी है और समस्त उक्त धनराशि को दिवाकर व दुर्गेश नामक व्यक्ति के मोबाइल पर, अपने मामा धर्मेन्द्र व मौसा लाल बहादुर के मोबाइल से अदा किया जाना बताया है। इसके अतिरिक्त कथित भर्ती से सम्बन्धित भी अन्य कोई सम्पोषक साक्ष्य व तथ्य निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा अभिकथित नहीं किये गये हैं और उक्त लेनदेन निगरानीकर्ता/आवेदक के अनुरूप किये जाने की भी प्रमाणिकता हेतु कोई अभिलेख या साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से धारा 173 (4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के अंतर्गत योजित प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई भी न्यायोचित आधार व कारण दर्शाने में निगरानीकर्ता/आवेदक पूर्णतः असफल रहा है। निष्कर्षतः प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत आपराधिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायलय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या 2930/2025 हिमांशू बनाम राजकमल अंतर्गत धारा 173 (4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0, में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 12.12.2025 पुष्ट किया जाता है।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक– 14.07.2026

(अमित पाल सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रायबरेली।
I.D.No.–UP05691

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके सुनाया गया।

दिनांक– 14.07.2026

(अमित पाल सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रायबरेली।
I.D.No.–UP05691

Sripal Singh
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.07.18 10:26:05 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court Raebareli